

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-०६/निदे०(DAJGUA)38-०२/२०२५- ८९

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

30/07/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-102-आर्थिक विकास, 0203-धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)" विपत्र कोड- 44-2225021020203" (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 3106-सहायक अनुदान-गैर वेतन में कुल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि से "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-102-आर्थिक विकास, 0203-धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)" विपत्र कोड- 44-2225021020203" (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 2702-अनुरक्षण एवं मरम्मत कुल ₹18.10 लाख (अठारह लाख दस हजार रु०) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति का प्रस्ताव।

आदेश- स्वीकृत।

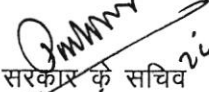
2- बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत संलग्न अनुसूची के अनुसार मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-102-आर्थिक विकास, 0203-धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)" विपत्र कोड- 44-2225021020203" (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 2702-अनुरक्षण एवं मरम्मत कुल ₹18.10 लाख (अठारह लाख दस हजार रु०) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

4- प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

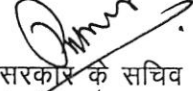
5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी, जमुई होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के सचिव 24-07-24

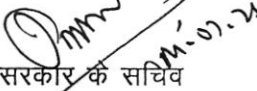
ज्ञापांक- सं०सं०-०६/निदे०(DAJGUA)38-०२/२०२५-८९ पटना, दिनांक- 30/07/2026

प्रतिलिपि:- अनुसूची के तीन प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव 24-07-24

ज्ञापांक- सं०सं०-०६/निदे०(DAJGUA)38-०२/२०२५-८९ पटना, दिनांक- 30/7/2026

प्रतिलिपि:- अनुसूची के प्रतियों के साथ संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी/ संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/उप निदेशक(मु०) अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा (8डी०)/लेखा शाखा/आईटी०मैनेजर, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव 24-07-24

वृहत शीर्षक:- 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-102 आर्थिक विकास, 0203-धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूर) (विपत्र कोड-44-2225021020203)

मांग संख्या- 44

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।(44-2225021020203)							शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है।(44-2225021020203)				
विनियोग की प्राथमिक इकाइयां।	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राकलन)।	वर्तमान अनुदान।	तात्कालिक प्राकलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च।	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान।	कुल अनुदान जो जोड़ने के बाद रहेगा।	विनियोग की प्राथमिक इकाइयां।	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राकलन)।	वर्तमान अनुदान।	तात्कालिक लिए गए प्राकलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च।	प्रत्यर्पित राशि।	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0203.2702-अनुरक्षण एवं मरम्मत	रु0 12500000	रु0 12500000	रु0 14310000	रु0 1810000	रु0 14310000	0203.3106-सहायक अनुदान-गैर वेतन	रु0 10000000	रु0 10000000	रु0 8190000 कुल:-	रु0 1810000 1810000 (अठारह लाख दस हजार रुपये)	रु0 8190000
टिप्पणी- (क) स्तम्भ 1 और 7 में ऐसे लघु और उप-शीर्षक दिखाये जायें, जिनसे इकाई संबंधित हो। (ख) स्तम्भ 3 या 9 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर, दिखाई जाय। (ग) स्तम्भ 6 से 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाए। (घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के आंकड़ों का अन्तर दिखाया जाय। (ङ) अतिरिक्त अनुदान (स्तम्भ 5) की अत्यावश्यकता या आवश्यकता और पुनर्विनियोग (स्तम्भ 11) संबंधी प्रस्ताव का पूरा-पूरा पीठ पीठ पर दिया जाय।											

अन्य इकाइयों
24-07-24
सचिव
अनु. जाति एवं अनु. जनजाति
कल्याण विभाग, विहार, पटना

186

अतिरिक्त/अनुदान

के लिए आवेदन-पत्र।

पुनर्विनियोग

ज्ञाप सं० बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष
 "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का
 कल्याण-02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-102-आर्थिक विकास, 0203-धरती आबा जनजातीय
 ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)" विपत्र कोड- 44-2225021020203" (मॉग संख्या-44) के
 अर्न्तगत 2702-अनुरक्षण एवं मरम्मत कुल ₹18.10 लाख (अठारह लाख दस हजार ₹0) मात्र का
 अतिरिक्त उपबन्ध हेतु

के क्रम में

स्वीकृति के लिए

को उपस्थापित।

अतिरिक्त/अनुदान

की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।

प्रस्तावित पुनर्विनियोग

व्ययन

पदाधिकारी का पदनाम - संबंधित जिला अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण
 पदाधिकारी।

अतिरिक्त/अनुदान

की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यार्पित बचत के संबंध में
 स्पष्टीकरण

पुनर्विनियोग यदि कुछ हो- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष ज्ञाप सं० बिहार वित्तीय
 नियमावली भाग 1 के नियम 489 केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
 जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-02 अनुसूचित जनजातियों का
 कल्याण-102-आर्थिक विकास, 0203-धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)" विपत्र
 कोड- 44-2225021020203" (मॉग संख्या-44) के अर्न्तगत 3106-सहायक अनुदान-गैर वेतन में कुल
 ₹100.00 लाख (एक करोड़ ₹0) के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि से "2225-अनुसूचित जातियों,
 अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-02 अनुसूचित जनजातियों का
 कल्याण-102-आर्थिक विकास, 0203-धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)" विपत्र
 कोड- 44-2225021020203" (मॉग संख्या-44) के अर्न्तगत 2702-अनुरक्षण एवं मरम्मत कुल ₹18.10
 लाख (अठारह लाख दस हजार ₹0) मात्र का अतिरिक्त का पुनर्विनियोग कर उपबन्ध प्रस्तावित हैं।

सचिव, 09.07.24
 अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
 कल्याण विभाग।

स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अन्तर हो तो उसका स्पष्टीकरण।